मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065
CIN:U24232RJ2011SGC035067
ई–मेल : rmsc@nic.in
Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 47 दिनांक : 11/4/17

कार्यालय आदेश

M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.) की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01.01.2016 के तहत औषधि Chloroquine Phosphate Suspension IP 50mg/5ml [100A] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1047 दिनांक 14/10/2016 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाई की गयी औषधि Chloroquine Phosphate Suspension IP 50mg/5ml [100A] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 12 बैचो को Microbial Examination Test (Total Aerobic Count and Total Yeast & Mold Count found more than specified limit) में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनो को पुनः जॉच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 07 नमूनों की Microbial Examination Test (Total Aerobic Count and Total Yeast & Mold Count found more than specified limit) में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस तरह निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि की घोषित औषधिं की आपूर्ति की गई है। प्रकरण के संबंध मे निर्माता कम्पनी को कारण बताओं नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया तथा दिनांक 15/03/2017 को निगम की अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया।

अनुशासन समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि की आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानो के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित है।

निर्माता फर्म को पुनः नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों नही आपकी फर्म की औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये तथा दिनांक 06/04/2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनवाई के लिये एक बार पुनः अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया।

निगम की अनुशासन समिति की अनुशंषा के आधार पर निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–नीति के क्लॉज 4.5 (2) के तहत निर्माता M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.) की औषधि Chloroquine Phosphate Suspension IP 50mg/5ml [100A] को इस आदेश को जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल असर/प्रभाव डाले की गई है।

—Sd—
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 47 दिनांक : 11/4/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3 मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4 निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6 औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
8 निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9 विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11 समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12 समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13 M/s Health Biotech Ltd., Unit-II, Nalagarh Road, Baddi-173205, Dist. Solan (H.P.)
14 आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.